संख्या- /1124(1)/सं0वि0क0नि0-7-2014/700(223)/13

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2014

विषय- ई-स्टाम्प के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनष्ट हो जाने पर द्वितीय प्रति निर्गमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनष्ट हो जाने की स्थिति में ई-स्टाम्प क्रेता को द्वितीय प्रति जारी किये जाने की कोई व्यवस्था प्रभावी नहीं है।

इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश एवं स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 29-09-2014 को संपन्न हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनष्ट हो जाने की स्थिति में ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के निर्गमन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

1- ई-स्टाम्प क्रेता द्वारा अपने ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनष्ट हो जाने की स्थिति में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।

2- ई-स्टाम्प की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु (संलग्न प्रारूप में) प्रार्थना-पत्र उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3- इस प्रार्थना-पत्र पर संबंधित उप-निबन्धक से ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र प्रयोग न किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने का निर्देश स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के संबंधित संग्रह केन्द्र को प्रेषित करते हुए संबंधित कोषागार को पूर्ण स्थिति से अवगत करायेंगे।

4- सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन के निर्देश के उपरांत स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत की जाएगी, जिसमें मूल प्रति

http://shasanadesh.up.nic.in

का भी उल्लेख करते हुए यह उल्लेख किया जायेगा कि प्रश्नगत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र डुप्लीकेट प्रति है। इस कार्यवाही की सूचना संबंधित कोषागार व उप-निबन्धक को दिया जाना अनिवार्य होगा। स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन द्वारा इस हेतु पोर्टल पर ऐसा यथावश्यक संशोधन किया जायेगा, जिससे राज्य सरकार को किसी परिस्थिति में किसी राजस्व हॉनि की आशंका न रहें।

5- इस प्रकार से निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति में कोई भी संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

6- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति मूल ई-स्टाम्प निर्गत होने के दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र सहायक आयुक्त, स्टाम्प को प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही अभी तक उक्त विषयक लम्बित अन्य प्रकरणों को भी निस्तारित किया जाए।

इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण उप-महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त उप-महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उप-निबन्धक, निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश।

3- क्षेत्रीय प्रबन्धक स्टाक होल्डिंग कारपोरशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्न-प्रारूप

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के चोरी होने, खो जाने/विनष्ट होने की स्थिति में ई-स्टाम्प की द्वितीय प्रति निर्गत करने हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

सहायक आयुक्त स्टाम्प,

विषय:- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के चोरी होने, खो जाने/विनष्ट होने की स्थिति में ई-स्टाम्प की द्वितीय प्रति निर्गत करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

1- मेरे द्वारा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के----------केन्द्र से दिनांक --------- को निम्न विवरण के अनुसार ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र क्रय किया गया था।
(मूल ई-स्टाम्प का पूर्ण विवरण यहाँ अंकित किया जाय)

2- उक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र दिनांक----------को चोरी हो गया है/ खो गया है/विनष्ट हो गया है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक---------को---------थाने में दर्ज करा दी गयी है, जिसको इस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।
(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाय)

3- मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा उक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का किसी भी विलेख में प्रयोग नहीं किया गया है।

4- यदि मेरे द्वारा उपरोक्त ई-स्टाम्प का किसी भी विलेख में प्रयोग पाया जाए अथवा किसी भी अन्य परिस्थिति में राज्य सरकार को उक्त ई-स्टाम्प से यदि क्षति होती है तो मै उक्त ई-स्टाम्प के धनराशि की सीमा तक क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी रहूँगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे उक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत कराने का कष्ट करें।

दिनांक- प्रार्थी

( )

http://shasanadesh.up.nic.in